माननीय न्यायमूर्ति *ए कोशल* के समक्ष

एएमआरए और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम-

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

1974 का आपराधिक संशोधन संख्या 292।

8 अप्रैल, 1974।

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V) - धारा 145 - किरायेदारों के रूप में भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे वाले व्यक्ति, हालांकि भू-स्वामी द्वारा उनकी अवधि समाप्त कर दी गई है - सिविल न्यायालय भू-स्वामी के खिलाफ फरमान पारित करते हैं कि वे किरायेदारों के कब्जे में हस्तक्षेप न करें - धारा ***145*** *के तहत कार्यवाही* की गई - मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि को कुर्क करना - ऐसी कुर्की - यदि उचित हो।

यह माना गया कि जब कुछ व्यक्ति वर्षों से किरायेदारों के रूप में भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे में हैं, हालांकि उनके कार्यकाल को भू-स्वामी द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो उन्हें कानून के अनुसार भूमि से बेदखल होने तक कब्जे में रहने का अधिकार है। यदि उन्हें जबरन बेदखल करने की कोशिश की जाती है, तो वे कानून के संरक्षण के हकदार हैं, चाहे निष्कासन का इरादा भू-स्वामी या उनके बाद के पट्टेदारों द्वारा किया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता, 1889 की धारा 145 के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि की कुर्की, जो किरायेदारों को उनके कब्जे से वंचित करती है, को उचित नहीं माना जा सकता है। यहाँ तक कि अगर मजिस्ट्रेट को शांति भंग होने की आशंका लगती है, तो इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि उन लोगों के खिलाफ जो विवाद में भूमि के शांतिपूर्ण और स्थापित कब्जे में हैं, खासकर जब भूमि-मालिकों को "उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले फरमान सिविल अदालतों द्वारा पारित किए गए हैं। भूमि के **शांतिपूर्ण कब्जे वाले** व्यक्तियों को उसके आदेश देकर वंचित करना, उनके विरोधियों की ओर **से आक्रामकता के इच्छित कार्य के लिए उन्हें दंडित करने के समान है**। यह देखना मजिस्ट्रेट का कार्य है कि सिविल न्यायालयों में सफल रहे पक्ष का कब्जा बनाए रखा जाए। <

कमल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री वीके जैन के दिनांक 14 मार्च, 1974 के आदेश में संशोधन के लिए दायर याचिका में कहा गया है कि कैथल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट श्री एससी धोसीवाल के दिनांक 6 ***अगस्त,*** *1973 के आदेश में कहा गया है कि यह आवश्यक है कि लोक शांति और पारदर्शिता के हित में नीचे उल्लिखित भूमि को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कुर्क किया जाए और तहसीलदार गुहला को सौंप दिया जाए। इस पुलिस शिकायत के अंतिम निर्णय तक उसी का एक सुप्रातदार*

आदेश देते हुए कि दोनों पक्षों को 27 अगस्त, **1973** को नोटिस जारी किया जाए कि वे उनके समक्ष पेश हों और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें।

उक्त भूमि पर कब्जे के लिए उनके संबंधित दावों के समर्थन में शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों।

गुहला तहसील के इशाक गांव में *392 एकड़ जमीन है।*

कार्यवाही: सीआरपीसी की धारा 145 *के तहत*

कुलदीप सिंह। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील /

आरपी धिया, एडवोकेट जनरल के वकील। हरियाणा, *प्रतिवादी संख्या 10 के लिए।* 1.

बलदेव कपूर। वकील, *उत्तरदाताओं के लिए* 3, 4. 6 से 24, 26 से 30. 32 से 35, 37 से 39, 41 से 43, 45, '49, 51. 52 और 54.

निर्णय

कोशल, जे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य, जो नीचे दिए गए दो न्यायालयों के आदेशों की **समीक्षा की मांग** करते हैं, सभी हाथों पर स्वीकार किए जाते हैं और इस प्रकार कहा जा सकता है:

वर्ष 1957 में, इशाक गांव की ग्राम पंचायत ने अपने स्वामित्व वाली भूमि के विभिन्न पार्सलों को जीवित याचिकाकर्ताओं सहित 40 व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया, और तब से पट्टेदारों ने अपने संबंधित पार्सल पर कब्जा कर लिया है। 27 मार्च, 1973 को, ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी संख्या 2 से 54 को भूमि के उक्त पार्सल पट्टे पर दे दिए, जिन्होंने तब बलपूर्वक कब्जे में पट्टेदारों को बाहर करने का मन बना लिया। याचिकाकर्ताओं और अन्य, जिन्होंने वर्ष 1957 में पट्टे पर भूमि प्राप्त की थी, ने ग्राम पंचायत को कानून के बिना उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अलग-अलग मुकदमे दायर किए। उन सभी मुकदमों की डिक्री 23 अप्रैल, 1973 को की गई थी, क्योंकि उसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह दलील दी गई थी कि उसका याचिकाकर्ताओं सहित पट्टेदारों, गैर-कब्जेदारों को हटाने के लिए बल प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं था।

6 अगस्त, 1973 को पुलिस द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कैथल की अदालत में ऊपर उल्लिखित चालीस व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिन्होंने उसी तारीख को एक आदेश पारित किया था, जिसके प्रासंगिक भाग को संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:-

> "पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन से, मैं संतुष्ट हूं कि उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में विवाद है।
>
> आयत सं 2008 में शामिल पंचायत भूमि का कब्जा। गो # * * * * * # $ * $ $ * #
> गुहला तहसील के इशाक गांव में 392 एकड़ जमीन है और इस कारण दोनों पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक शांति और सौहार्द के हित में, उक्त भूमि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्क किया जाए और इस पुलिस शिकायत के अंतिम निर्णय तक तहसीलदार, गुहला को उसी के स्परदार के रूप में सौंप दिया जाए।
>
> इस आदेश की एक प्रति गांव की चौपाल/पंचायत जीएच #आर में और गांव के पूरे रास्ते में भी चिपकाई जाए।

(4) इस आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनरीक्षण पक्ष पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन इसे बनाए रखा गया था, और यही कारण है कि वर्तमान याचिका इस न्यायालय में दायर की गई है।

(5) दोनों पक्षों के बीच यह साझा आधार है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत के तहत किरायेदारों के रूप में 15 साल से अधिक समय से विवाद में भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे में हैं। भले ही ग्राम पंचायत द्वारा उनके संबंधित कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें कानून के अनुसार भूमि से बेदखल होने तक कब्जे में रहने का अधिकार है। यह इस प्रकार है कि यदि उन्हें जबरन बेदखल करने की मांग की जाती है, तो वे कानून के संरक्षण के हकदार हैं, चाहे निष्कासन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया हो, या उसके पट्टेदारों द्वारा, या अन्य व्यक्तियों द्वारा। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि की कुर्की, जिसने याचिकाकर्ताओं को उनके कब्जे से वंचित कर दिया, को उचित नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा शांति भंग करने की आशंका पाई गई थी, लेकिन फिर, इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, न कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, जो विवाद में भूमि के शांतिपूर्ण और स्थापित कब्जे में थे, खासकर जब ग्राम पंचायत को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले फरमान सिविल न्यायालयों द्वारा पारित किए गए थे। उत्तरदाताओं ने अपना शीर्षक ग्राम पान-चायत से प्राप्त किया है, विवाद में भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत की तुलना में कोई बेहतर अधिकार नहीं हो सकता है। यदि ग्राम पंचायत

डिक्री के तहत यह कर्तव्य था कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जाए, इसलिए प्रतिवादी भी थे: और यदि उत्तरार्द्ध ने आदेशों की अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप करने की मांग की, तो शांति भंग होने की आशंका उनके इरादे के कारण उत्पन्न हुई, न कि याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी धमकी भरी कार्रवाई के कारण। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को भूमि से वंचित करना, इसकी कुर्की का आदेश देकर, उन्हें उनके विरोधियों की ओर से आक्रामकता के एक इच्छित कार्य के लिए दंडित करने के समान था। यह देखना विद्वान मजिस्ट्रेट का कार्य था कि सिविल कोर्ट में सफल होने वाले पक्ष का कब्जा बनाए रखा जाए। इस संबंध में, कुछ तय किए गए मामलों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है।

(6) *पिटाबास पोधान* वी। *कृष्णा पोधान और* 3 *अन्य।* (1) याचिकाकर्ता ने अपने कब्जे में गड़बड़ी की आशंका जताई जो उसने सिविल कोर्ट के एक डिक्री के तहत प्राप्त की थी। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट को एक आवेदन देकर अपने विरोधियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए कहा। हालांकि, विद्वान मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही को संहिता की धारा 145 के तहत एक में बदल दिया। अपने आदेश को अक्षम्य मानते हुए। जी.के. मिश्रा। J.. अवलोकन किया गया :-

> "इस तरह के मामले में, जहां हाल ही में सिविल कोर्ट के माध्यम से कब्जा दिया गया है, यह देखना आपराधिक न्यायालय का सर्वोपरि कर्तव्य है कि सफल पक्ष का कब्जा बनाए रखा जाए। यदि शांति भंग होने की कोई आशंका है, तो असफल पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत बाध्य किया जाना चाहिए।

(7) जगन *नाथ सिंह के बेटे सज्जन सिंह* बनाम जगन *नाथ सिंहसज्जन* सिंह, पुत्र भैरू सिंह और एक अन्य, (2), भैरू सिंह ने जगन्नाथ सिंह के बेटे सज्जन सिंह को अपने घर का कब्जा सौंपने के बाद अपना गांव छोड़ दिया। भैरू सिंह के बेटे, जिसका नाम सज्जन सिंह भी था, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू की, और पुलिस द्वारा अपने पक्ष में एक रिपोर्ट जोधपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को देने में सफल रहे, जिन्होंने संहिता की धारा 1 45 (4) के तीसरे परंतुक के तहत घर की कुर्की का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद, सज्जन सिंह पुत्र

(1) ए.आई.आर.71968 उड़ीसा 239.
(2) यू.जे. (एस.सी.) (1970) 75.

जगन्नाथ सिंह ने सिविल कोर्ट से एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की, जिसमें भैरू सिंह के बेटे को घर के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया, और फिर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया, जिसे इस निर्देश के साथ जारी किया गया था कि संबंधित तहसीलदार रिसीवर के रूप में घर का कब्जा ले लेंगे। जगन्नाथ सिंह के बेटे सज्जन सिंह सत्र न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए गए, लेकिन असफल रहे। उच्च न्यायालय ने माना कि घर की कुर्की और रिसीवर की नियुक्ति का आदेश वैध था और सिविल कोर्ट द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जगन्नाथ सिंह के बेटे सज्जन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया, लेकिन निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ: –

> पीठ ने कहा, "हमारी राय में इस मामले को उप संभागीय मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जाना चाहिए ताकि उनके समक्ष चल रही कार्यवाही पर फैसला किया जा सके। वे कार्यवाही 1967 में शुरू हुई थी और शांति भंग होने की कोई आशंका है या नहीं, इस सवाल पर निश्चित रूप से सिविल कोर्ट में हो रही घटनाओं के आलोक में निर्णय करना होगा। इस बीच, हमें उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने का आदेश देने का कोई कारण नहीं दिखता है। यह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिए खुला होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि रिसीवर को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन किसी भी स्थिति में, वह जगन्नाथ सिंह के बेटे सज्जन सिंह के कब्जे को तब तक परेशान नहीं करेगा जब तक कि अस्थायी निषेधाज्ञा बकाया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही का निर्णय लंबित है। दूसरे पक्ष को कब्जा सौंपने की दृष्टि से।

(8) कारणों से; उपरोक्त उल्लेख किया गया है, याचिका एक स्वीकृत प्रक्रिया में सफल होती है, और विद्वान उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, कैथल के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषामें इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा